संख्या–3434 / 1–10–2010–14(63) / 2010

प्रेषक,

के0 के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
पीलीभीत ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के संबधं में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2354 / 1–10–2010–रा–10, दिनांक 23 सितम्बर,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2. इस संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23.09.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत कार्य हेतु जनपद पीलीभीत को ₹ 3,00,00,000 / –(रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि आपदा राहत निधि से आवंटित की गयी है। आप द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त धनावंटन आदेश दिनांक 23.09.2010 आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 23.09.2010 द्वारा आवंटित धनराशि ₹ 3,00,00,000 / – (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) को वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत मद में व्यय करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–3253 / 1–10–2008– 12(73) / 2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा ।

संलग्नकः- यथोपरि ।

भवदीय,

(के0 के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव

...2 / –

14 PARISAMPATTIA-r

संख्या –3434 (1)/1–10–2010–14(63)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार– प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2–मंडलायुक्त बरेली ।

3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।

4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की बेवसाइट http/rahat.up.nic.in पर अपलोड़ कराना सुनिश्ति करे।

5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी,कार्यालय राहत आयुक्त संगठन।

6–कोषाधिकारी बरेली ।

7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।

8–समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9.निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,उ0प्र0 शासन ।

9–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।

10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त